रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249704
CG-DL-E-26102023-249704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945
No. 617]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 795(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (डछ) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (दिशानिर्देशों के प्रकाशन का प्ररूप) नियम, 2023 है ।

(2) ये प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "सचिव" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत सचिव के रूप में कृत्य करने के लिए आयोग का कोई अधिकारी भी है ।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं ।

3. दिशानिर्देशों का प्रकाशन—(1) आयोग, अधिनियम की धारा 64ख के अधीन जारी दिशानिर्देशों को अपनी शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करेगा ।

(2) आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :--

(क) दिशानिर्देश का शीर्षक ;

(ख) वह तारीख जिसको ऐसा दिशानिर्देश प्रभावी होगा ;

(ग) एक पैरा में दिशानिर्देश का केवल एक वाक्य और एक भाव होगा तथा जिसमें बहुवाक्य और बहु भाव नहीं होंगे ;

(घ) एक पैरा में नीति की एक विषय-वस्तु होगी ;

(ङ) उपबंध संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में प्रारूपित किए जाएंगे ;

(च) किन्हीं अन्य विशिष्ट दिशानिर्देशों से सुसंगत कोई अन्य ब्यौरे ।

(3) दिशानिर्देश की भाषा अंग्रेजी होगी ।

(4) सचिव, आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

[फा. सं. 05/4/2023-सीओएमपी-एमसीए]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2023

G.S.R. 795(E).—In exercise of the powers conferred by clause (mg) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Competition (Form of Publication of Guidelines) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication.

2. **Definitions**.— (1) In these rules, unless context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;

(c) "Secretary" means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorised by the Chairperson to function as Secretary.

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. **Publication of Guidelines.**— (1) The Commission shall issue guidelines under section 64B of the Act through publication on its official website.

(2) The guidelines issued by the Commission shall specify the following:-

(a) title of the guidelines;

(b) date from which such guidelines shall be effective;

(c) one paragraph shall contain only one sentence and one aspect of guidelines and should not have multiple sentences and aspects;

(d) one paragraph shall contain one subject matter of policy;

(e) the provisions shall be drafted in precise, clear and in a simple language; and

(f) any other details relevant to any particular guidelines.

(3) The language of the guidelines shall be English.

(4) The Secretary shall publish the guidelines issued by the Commission in the Official Gazette for information to the public in general.

[F. No. 05/4/2023-Comp-MCA]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.26 20:49:05 +05'30'